

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. 29-3-इक्कीस-अ (प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 दिसम्बर 2009 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१०

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २००९.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १० का संशोधन.
३. धारा १८-क का संशोधन.
४. धारा १९-ग का संशोधन.
५. धारा २८ का संशोधन.
६. धारा ३२ का संशोधन.
७. धारा ४३-क का संशोधन.
८. धारा ४८ का संशोधन.
९. धारा ४८-क का संशोधन.
१०. धारा ४८-क क का स्थापन.
११. धारा ४८-ख का संशोधन.
१२. धारा ४८-ग का संशोधन.
१३. धारा ४९ का संशोधन.
१४. धारा ४९-ड का संशोधन.
१५. धारा ५३-ख का संशोधन.
१६. धारा ५५ का संशोधन.
१७. धारा ५६ का संशोधन.
१८. धारा ५८ का संशोधन.
१९. धारा ५८-ख का संशोधन.
२०. धारा ५९ का स्थापन.
२१. धारा ५९-क का संशोधन.
२२. धारा ६१ का संशोधन.
२३. धारा ६६ का संशोधन.
२४. धारा ७२ का संशोधन.
२५. धारा ७२-ख का संशोधन.
२६. धारा ७२-घ का संशोधन.
२७. धारा ७२-ड का संशोधन.
२८. धारा ७५ का संशोधन.
२९. धारा ८०-क का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१०

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २००९.

[दिनांक ३० दिसम्बर २००९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक ४ जनवरी २०१० को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २००९ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १० में,—

धारा १० का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (तीन) तथा खण्ड (चार) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१-क) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ख क) संघीय सोसाइटी.”

३. मूल अधिनियम की धारा १८-क में, उपधारा (५) का लोप किया जाए.

धारा १८-क का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १९-ग में,—

धारा १९-ग का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, परन्तुक में, शब्द “सात दिन” के स्थान पर, शब्द “पन्द्रह दिन” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१-क) उपधारा (१) के अधीन समिति के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की संसूचना के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष विवाद निर्दिष्ट कर सकेगा.”

(तीन) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३) कोई भी सदस्य जिसे निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से छह वर्ष की कालावधि तक पुनः प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा.”

५. मूल अधिनियम की धारा २८ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

धारा २८ का संशोधन.

“(४) यदि सोसाइटी का कोई कर्मचारी या अधिकारी उपधारा (२) के अधीन सोसाइटी के सदस्यों को निरीक्षण के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराता है या उपधारा (३) के अधीन उसके ऐसे अभिलेख की या रजिस्ट्रार की प्रमाणित प्रति या उसके उद्धरण नहीं देता है तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, उस पर पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.”

धारा ३२ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३२ में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(५) प्रत्येक सोसाइटी अपने रजिस्टर्ड पते पर दिन प्रतिदिन कारबार करेगी तथा अपने रजिस्टर्ड पते पर सोसाइटी से संबंधित अभिलेख संधारित करेगी और यदि सोसाइटी,—

- (एक) रजिस्ट्रार को परिवर्तित पते की संसूचना नहीं देती है; या
- (दो) उसके रजिस्टर्ड पते पर कारबार नहीं करती हैं; या
- (तीन) उसके रजिस्टर्ड पते पर अभिलेख संधारित नहीं करती है,

तो रजिस्ट्रार जिम्मेदार अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा.”

धारा ४३-क का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४३-क में, उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१-क) प्रत्येक सोसाइटी “प्रशिक्षण निधि” के नाम से जानी जाने वाली एक पृथक् निधि का सृजन करेगी जिसमें उसके लाभ की दो प्रतिशत रकम, सोसाइटी के सदस्यों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिये प्रत्येक वर्ष अन्तरित करेगी.”

धारा ४८ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४८ में,—

(एक) उपधारा (३) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(एक) जिसमें आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हों, कुल स्थानों के आधे स्थान, ऐसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए, उसी अनुपात में आरक्षित रखे जाएंगे, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को प्राप्त है, किन्तु किसी भी दशा में स्थानों का कुल आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

(दो) उपधारा (८) में, शब्द “पन्द्रह से अधिक नहीं होगी” के स्थान पर, शब्द “पन्द्रह से अधिक नहीं होगी तथा सहकारी बैंक या नगरीय सहकारी बैंक की दशा में सदस्यों की कुल संख्या अठारह से अधिक नहीं होगी” स्थापित किए जाएं.

धारा ४८-क का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ४८-क में, उपधारा (५) में, शब्द “सहयोजन” के स्थान पर, शब्द “निर्वाचन” स्थापित किया जाए.

धारा ४८-क क का स्थापन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ४८ क क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

संचालक मंडल की सदस्यता के लिए और प्रतिनिधित्व करने के लिए निरहता.

“४८-क क. कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, और उस रूप में अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा, यदि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी निरहता से ग्रस्त हो और कोई भी सोसाइटी किसी अन्य सोसाइटी के संचालक मंडल में अपने प्रतिनिधि के रूप में या अन्य सोसाइटी में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करेगी यदि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी निरहता से ग्रस्त हो:

परन्तु यदि कोई भी सदस्य इस धारा के अधीन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता से ग्रस्त है, तो,—

- (एक) सोसाइटी के संचालक मंडल के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे सदस्य को, जब कि वह उस सोसाइटी का सदस्य रहते हुए संचालक के रूप में निर्वाचित हो जाता है, सोसाइटी की जानकारी में आने की तारीख से दो मास के भीतर उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद धारण करने से निरर्हित करे और यदि सोसाइटी दो मास के भीतर कार्रवाई करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा ऐसा पद धारण करने से निरर्हित करेगा,
- (दो) यदि कोई सदस्य उच्च स्तर सोसाइटी में प्रतिनिधि के रूप में उसके कार्य करने के कारण निरर्हित हो जाता है तो ऐसी उच्च स्तर सोसाइटी उसे उच्च स्तर सोसाइटी में पद धारण करने के लिए निरर्हित करने की कार्रवाई करेगी, और यदि सोसाइटी दो मास के भीतर कार्रवाई करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा ऐसा पद धारण करने से निरर्हित करेगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति “निरर्हता” के अन्तर्गत किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए धारा ५०-क में विनिर्दिष्ट निरर्हता सम्मिलित नहीं होगी.”

११. मूल अधिनियम की धारा ४८-ख में,—

धारा ४८-ख का संशोधन.

(एक) उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“परन्तु जहां निर्वाचित किये जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या एक से अधिक है, वहां प्रतिनिधियों के आरक्षण की कुल संख्या पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.”

(दो) उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“परन्तु प्रत्यायुक्तों के कुल आरक्षित स्थानों की संख्या पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.”

१२. मूल अधिनियम की धारा ४८-ग में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

धारा ४८-ग का संशोधन.

“(ग) सभापति और पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और उन्हें पद से हटाने के बारे में निर्णय लेना:

परन्तु उपर्युक्त प्रयोजन के लिये होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी;

(ग क) संचालकों द्वारा दिए गए त्याग-पत्रों पर निर्णय लेना;”

१३. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (९) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा ४९ का संशोधन.

“(ख क) यदि सोसाइटी, सम्मेलन की समाप्ति से ३० दिन के भीतर, सम्मेलन के लिये आमंत्रित किए गए व्यक्ति को कार्यवृत्त देने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, सोसाइटी के जिम्मेदार अधिकारी पर, पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो."

धारा ४९-ड का संशोधन. १४. मूल अधिनियम की धारा ४९-ड में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(क) प्रत्येक शीर्ष सोसाइटी के लिये इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है, वहां प्रथम वर्ग के अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक प्रबंध संचालक होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु राज्य सहकारी बैंक के मामले में, प्रबंध संचालक, रिजर्व बैंक द्वारा नियत किए गए मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

धारा ५३-ख का संशोधन. १५. मूल अधिनियम की धारा ५३-ख में, उपधारा (२) में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर, शब्द "छह वर्ष" स्थापित किए जाएं.

धारा ५५ का संशोधन. १६. मूल अधिनियम की धारा ५५ में, उपधारा (२) में, द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रार या ऊपर निर्दिष्ट किया गया अधिकारी, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विवाद ग्रहण कर सकेगा, यदि आवेदक रजिस्ट्रार या ऊपर निर्दिष्ट किए गए अधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास नियत समय के भीतर विवाद निर्दिष्ट न कर पाने के लिये पर्याप्त कारण थे."

धारा ५६ का संशोधन. १७. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(३) यदि सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिस पर कि विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व उपधारा (२) के अधीन नियत किया गया हो, अभिलेख, रजिस्टर, लेखा-पुस्तकें नहीं बनाए रखता है और रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करे, विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी को हटा सकेगा और यदि वह अधिकारी सोसाइटी का कर्मचारी है, तो उस पर ऐसी शास्ति जो पचास हजार रुपये से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए."

धारा ५८ का संशोधन. १८. मूल अधिनियम की धारा ५८ में, उपधारा (१) में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित की जाए, अर्थात् :-

" परन्तु यह और कि—

(एक) कोई केन्द्रीय सोसाइटी या शीर्ष सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेखाओं की संपरीक्षा करा सकेगी; और

(दो) कोई नगरीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेखाओं की संपरीक्षा करा सकेंगे."

१९. मूल अधिनियम की धारा ५८-ख में,—

धारा ५८-ख का संशोधन.

(एक) उपधारा (२) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (३) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “या उपधारा (२)” का लोप किया जाए.

२०. मूल अधिनियम की धारा ५९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ५९ का स्थापन.

“५९ (१) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से या—

जांच.

(एक) किसी ऐसी सोसाइटी के जिससे सोसाइटी संबद्ध है; या

(दो) किसी ऐसे लेनदार के जिसकी सोसाइटी ऋणी है; या

(तीन) समिति के सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों के; या

(चार) सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दशमांश अन्यून सदस्यों,

के आवेदन पर सोसाइटी के गठन, कामकाज और वित्तीय स्थिति के या आवेदन में उठाए गए विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में जांच कर सकेगा या रजिस्ट्रार ऐसे मामले में, कलक्टर द्वारा या कलक्टर के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा या अधिकारियों से मिलकर बनने वाली किसी जांच समिति द्वारा जांच करवा सकेगा.

(२) कलक्टर, स्वप्रेरणा पर या उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किसी ऐसी सोसाइटी के संबंध में, जो कि जिले के क्षेत्राधिकार में कार्य कर रही हो, जांच कर सकेगा या जांच करवा सकेगा.

(३) रजिस्ट्रार, उपधारा (१) के खण्ड (एक) से (चार) तक में विनिर्दिष्ट आवेदक या आवेदकों से केवल ऐसी फीस जो कि जांच संचालित करने के खर्च की पूर्ति के लिये विहित की जाए, प्राप्त होने के पश्चात् ही किसी जांच के आदेश करेगा.

(४) रजिस्ट्रार, या उपधारा (१) और (२) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों तक उसकी, समस्त समयों पर, अबाध पहुंच होगी और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि कब्जे में ऐसी पुस्तकें, लेखे, दस्तावेजें, प्रतिभूतियां, रोकड़ या अन्य सम्पत्तियां हों या जो उनकी अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हो, इस बात के लिये समन कर सकेगा कि वह उन्हें उस दशा में, जब कि वे सोसाइटी के मुख्य कार्यालय से संबंधित हों, उसके (सोसाइटी के) मुख्यालय पर के किसी भी स्थान पर, और उस दशा में, जबकि वे सोसाइटी की किसी शाखा से संबंधित हों, उस नगर, जिसमें कि उसकी ऐसी शाखा स्थित हो, में के किसी स्थान पर पेश करे;

(ख) वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे सोसाइटी के कार्यकलापों में से किन्हीं कार्यकलापों का ज्ञान है, सोसाइटी के मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा पर के किसी स्थान पर उसके समक्ष उपसंजात होने के लिये समन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा.

(५) जांच का आदेश किए जाने की तारीख से चार मास की कालावधि के भीतर ऐसी जांच पूरी कर ली जाएगी और रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी.”

धारा ५९-क का संशोधन.

२१. मूल अधिनियम की धारा ५९-क में, उपधारा (२) में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "पचास हजार" स्थापित किए जाएं,

धारा ६१ का संशोधन.

२२. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, —

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) रजिस्ट्रार, ऐसी सोसाइटी या उसके अधिकारियों को या उस सोसाइटी को, जिससे कि वह सम्बद्ध हो, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि वह उन त्रुटियों का, जो कि संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण में प्रकट हुई हों, उपचार करने के लिये ऐसी कार्रवाई, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, साठ दिन के भीतर करे.";

(दो) उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(३) यदि सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी साठ दिन के भीतर, रजिस्ट्रार के निदेशों का पालन करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी को संचालक मण्डल का सदस्य होने के लिए आयोग्य घोषित कर सकेगा और यदि ऐसा अधिकारी, सोसाइटी का कोई कर्मचारी है तो उस पर पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए."

धारा ६६ का संशोधन.

२३. मूल अधिनियम की धारा ६६ में, उपधारा (१) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "धारा ६४ या धारा ५५ की उपधारा (२)" के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक "धारा ६४, धारा ५५ की उपधारा (२) या धारा ८४-क" स्थापित किए जाएं.

धारा ७२ का संशोधन.

२४. मूल अधिनियम की धारा ७२ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(२) जहां समापक ने आस्तियों और दायित्वों के निपटारे के पश्चात् रजिस्ट्रार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तब रजिस्ट्रार अंतिम रिपोर्ट पर समाधान कर लेने के पश्चात् सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा."

धारा ७२-ख का संशोधन.

२५. मूल अधिनियम की धारा ७२-ख में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) (क) किसी गृह निर्माण सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य खण्ड (ड) के अधीन प्राथमिकता सूची के अनुसार गृह निर्माण के लिये एक भू-खण्ड का, जिसमें यथास्थिति, निम्न सघनता का गृह निर्माण, निवास गृह या कोई प्रकोष्ठ (फ्लेट) सम्मिलित है और ऐसी दशा में जब कोई निवास गृह या प्रकोष्ठ (फ्लेट) पूर्व में ही अर्जित कर लिये गये हों तो उसकी सामान्य सुख सुविधाओं तथा सेवाओं का हकदार होगा जिसमें गृह निर्माण के लिये वित्त पोषण भी सम्मिलित है.

(ख) सदस्यता सूची, जिसमें उसका नाम, उसके पिता और माता का नाम, उसकी जन्मतिथि तथा आयकर की स्थायी लेखा संख्या यदि कोई हो, समाविष्ट करते हुए सोसाइटी द्वारा रखी जाएगी तथा ऐसी सूची उसके सोसाइटी में प्रवेश के अनुसार तैयार की जायेगी.

(ग) जहां सोसाइटी गृह निर्माण प्रयोजनों के लिये कोई भूमि शासन से या किसी अन्य एजेन्सी से रियायती दर पर प्राप्त करती है वहां उसके सदस्य के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह इस प्रभाव का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करे कि उसके नाम या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के नाम से कोई भू-खण्ड/प्रकोष्ठ (फ्लेट)/भवन उस नगरपालिक क्षेत्र में नहीं हैं.

(घ) प्रत्येक गृह निर्माण सोसाइटी, खण्ड (ख) के अधीन तैयार की गई सूची के आधार पर, पत्र द्वारा, सूची के प्रत्येक सदस्य को, रजिस्टर्ड डाक द्वारा, पत्र में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो कि दो मास से कम की नहीं होगी, विकास प्रभार, सन्निर्माण प्रभार तथा सुविधाओं पर उपगत होने वाले अन्य व्ययों को जमा करने के लिये कहेगी और सोसाइटी उपरोक्त प्रयोजन के लिए एक ऐसे समाचार पत्र में, जिसका कि सोसाइटी के क्षेत्राधिकार में परिचालन हो, एक प्रेस नोट भी प्रकाशित करेगी और सोसाइटी संबंधित सदस्य को भेजे गए पत्रों का अभिलेख रखेगी और सोसाइटी यह भी सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक रकम जमा कराने के लिये भेजी गई सूचना सदस्य को प्राप्त हो गई है।

(ङ) सोसाइटी, पत्र प्राप्ति के पश्चात् सदस्य द्वारा अपेक्षित रकम जमा कर दिये जाने के आधार पर, प्रति वर्ष भू-खण्ड आवंटन के लिये एक प्राथमिकता सूची तैयार करेगी और यदि सूची में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा संबंधित सदस्य को भेजी जायेगी और ऐसी परिवर्तित सूची की एक प्रति प्रति वर्ष ३० अप्रैल तक संबंधित उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को भी भेजी जाएगी तथा अंतिम प्राथमिकता सूची के आधार पर सदस्यों को भू-खण्ड आवंटित किए जाएंगे और ऐसी सूची जनसाधारण को सोसाइटी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और वेबसाइट को प्रति वर्ष अद्यतन किया जाएगा।

(च) प्रत्येक गृह निर्माण सोसाइटी, खण्ड (ख) और खण्ड (ङ) के अधीन तैयार की गई सदस्यता सूची और सदस्यों की प्राथमिकता सूची के साथ अपना वार्षिक तुलन पत्र तथा आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां जिले के संबंधित उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी और यह जानकारी जनसाधारण को सोसाइटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(छ) रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना सोसाइटी द्वारा धारित भूमि या उसका कोई भाग बेचा नहीं जाएगा या पट्टे पर नहीं दिया जाएगा और ऐसी भूमि के अंतरण की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(ज) यदि कोई सदस्य, यथास्थिति, विधिक व्यय, अनुरक्षण तथा सेवाओं के अपने शेयर का संदाय विहित समय के भीतर करने में असफल रहता है, तो सोसाइटी तीन मास से अनधिक की किसी कालावधि के लिये २० प्रतिशत की दर से अधिभार अधिरोपित करेगी और यदि तीन मास से परे व्यतिक्रम जारी रहता है तो सेवाएं तुरन्त बंद कर दी जाएंगी:

परन्तु ऐसी सेवाओं को तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को, समिति द्वारा, इस निमित्त सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो."

२६. मूल अधिनियम की धारा ७२-घ में,—

धारा ७२-घ का संशोधन.

(एक) खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(दो) सदस्यता सूची से छेड़छाड़.”;

(दो) खण्ड (सात) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात् :—

“(आठ) सदस्यों को भू-खण्डों का आवंटन सदस्यों की प्राथमिकता सूची के अनुसार न करना;

(नौ) रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना सोसाइटी द्वारा धारित भूमि का विक्रय करना या उसे पट्टे पर देना या उसका अंतरण करना;

(दस) धारा ७२-ख की उपधारा (१) के खण्ड (च) के उपबंधों का अनुपालन न करना.”

२७. मूल अधिनियम की धारा ७२-ङ में,—

धारा ७२-ङ का संशोधन.

खण्ड (क) से (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

- “(क) धारा ७२-घ के खण्ड (एक) में उल्लिखित अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी या दोनों से;
- (ख) धारा ७२-घ के खण्ड (दो) में उल्लिखित अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से जो ५ लाख रुपये तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी या दोनों से;
- (ग) धारा ७२-घ के खण्ड (तीन) में उल्लिखित अपराध के लिये, ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से;
- (घ) धारा ७२-घ के खण्ड (चार), (पांच), (छह), (सात), (आठ), (नौ) और (दस) में उल्लिखित अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से.”

धारा ७५ का संशोधन.

२८. मूल अधिनियम की धारा ७५ में,—

- (एक) खण्ड (क), (घ), (ङ) और (ज) में, अंक “२०००” के स्थान पर, अंक “५०,०००” स्थापित किए जाएं;
- (दो) खण्ड (ख), (ग), और (ज) में, अंक “१०००” के स्थान पर, अंक “२५,०००” स्थापित किए जाएं;
- (तीन) खण्ड (झ) में, अंक “५००” के स्थान पर, अंक “२५,०००” स्थापित किए जाएं;
- (चार) खण्ड (च), (छ) और (ट) में, अंक, “२५०” के स्थान पर, अंक “२५,०००” स्थापित किए जाएं;

धारा ८०-क का संशोधन.

२९. मूल अधिनियम की धारा ८०-क में, शब्द “जिसकी अंशपूँजी में राज्य सरकार ने अधिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है” का लोप किया जाए,

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. 30-3-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2009.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 10.

3. Amendment of Section 18-A.
4. Amendment of Section 19-C.
5. Amendment of Section 28.
6. Amendment of Section 32.
7. Amendment of Section 43-A.
8. Amendment of Section 48.
9. Amendment of Section 48-A.
10. Substitution of Section 48-AA.
11. Amendment of Section 48-B.
12. Amendment of Section 48-C.
13. Amendment of Section 49.
14. Amendment of Section 49-E.
15. Amendment of Section 53-B.
16. Amendment of Section 55.
17. Amendment of Section 56.
18. Amendment of Section 58.
19. Amendment of Section 58-B.
20. Substitution of Section 59.
21. Amendment of Section 59-A.
22. Amendment of Section 61.
23. Amendment of Section 66.
24. Amendment of Section 72.
25. Amendment of Section 72-B.
26. Amendment of Section 72-D.
27. Amendment of Section 72-E.
28. Amendment of Section 75.
29. Amendment of Section 80-A.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2009.

[Received the assent of the Governor on the 30th December, 2009; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4th January 2010]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act 1960.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2009.

Amendment of Section 10.

2. In Section 10 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act),—

- (i) in sub-section (1), clause (iii) and clause (iv) shall be omitted;
- (ii) in sub-section (1-a), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :— “(ba) Federal Society;”.

Amendment of Section 18-A.

3. In Section 18-A of the principal Act, sub-section (5) shall be omitted.

Amendment of Section 19-C.

4. In Section 19-C of the principal Act, —

- (i) in sub-section (1), in the proviso, for the words “seven days”, the words “fifteen days” shall be substituted;
- (ii) for sub-section (1-A), the following sub-section shall be substituted, namely :—
 “(1-A) Any person aggrieved by the resolution of the committee under sub-section (1) may refer the dispute before the Registrar within thirty days of the communication of such resolution.”;
- (iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—
 “(3) No member who has been expelled shall be eligible for re-admission for a period of six years from the date of such expulsion.”.

Amendment of Section 28.

5. In Section 28 of the principal Act, after sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely :—

“(4) If an employee or officer of the society does not provide the record for inspection under sub-section (2) or grant the certified copy of such records or registers or extracts thereof under sub-section (3) to the members of the society, then the Registrar may, by order, impose on him a penalty not exceeding fifty thousand rupees :

Provided that no order shall be made under this sub-section unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.”.

Amendment of Section 32.

6. In Section 32 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely :—

“(5) Every society shall carry on day today business by its registered address and shall

maintain records pertaining to the society at its registered address and if the society does not —

- (i) communicate the changed address, to the Registrar, or
- (ii) carry on the business at its registered address, or
- (iii) maintain the records at its registered address, the Registrar may impose penalty not exceeding fifty thousand rupees on the officer responsible after giving a reasonable opportunity of being heard.”.

7. In Section 43-A of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :— **Amendment of Section 43-A.**

“(1-A) Every society shall create a separate fund to be called “Training Fund” in which two percent amount of its profit shall be transferred every year for the purpose of training to members and employees of the society.”.

8. In Section 48 of the principal Act, — **Amendment of Section 48.**

(i) in sub-section (3), in clause (a), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(i) in which half or more than half the members belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, half the total number of seats shall be reserved for the members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the same proportion as the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes bears but in any case total reservation of seats shall not exceed fifty percent.”;

(ii) in sub-section (8), for the words “shall not exceed fifteen” the words “shall not exceed fifteen and in the case of Co-operative Bank or Urban Co-operative Bank, the total number of members shall not exceed eighteen” shall be substituted.

9. In Section 48-A of the principal Act, in sub-section (5), for the word “co-option”, the word “election” shall be substituted. **Amendment of Section 48-A.**

10. For section 48-AA of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :— **Substitution of Section 48-AA.**

“48-AA. No person shall be eligible for election as a member of the Board of Directors of a society and shall cease to hold his office as such, if he suffers from any disqualification specified in this Act or the rules made thereunder and no society shall elect any member as its representative to the Board of Directors of any other society or to represent the society in other society, if he suffers from any disqualifications specified in this Act or the rules made thereunder: **Disqualification for membership of Board of Directors and for representation.**

Provided that if a member suffers from any of the disqualifications specified in the Act or the rules made thereunder —

- (i) it shall be lawful for the Board of Directors of the society to disqualify such member where he is elected as a Director, being a member of that society, after giving him a reasonable opportunity of being heard, within two months from the date of coming to the notice of the society from holding the post and if the society fails to take action within two months, the Registrar shall disqualify such member from holding such post, by an order in writing after giving him reasonable opportunity of being heard,
- (ii) if the member incurs a disqualification in the higher level society, for his actions as a representative, such higher level society shall take action to disqualify him

for holding the post in the higher level society and if the society fails to take action within two months, the Registrar shall disqualify such member from holding such posts by an order in writing after giving him reasonable opportunity of being heard.

Explanation.—For the purpose of this section, the expression “disqualification” shall not include the disqualification specified in Section 50-A for election as a member of the Board of Directors or a representative of a society.”

Amendment of Section 48-B.

11. In Section 48-B of the principal Act,—

- (i) in sub-section (2), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that where the number of representative to be elected is more than one, total number of reservation of representative shall not exceed fifty percent.”;

- (ii) in sub-section (3), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that number of total reserved seats of the delegates shall not exceed fifty percent.”.

Amendment of Section 48-C.

12. In Section 48-C of the principal Act, for clause (c), the following clauses shall be inserted, namely :—

“(C) take decision in respect of no-confidence motion against Chairman and office bearers and remove them from office :

Provided that meeting for the above purpose shall be presided over by the Registrar or any person authorised by him in this behalf;

(ca) take decision on the resignation submitted by the Directors;”.

Amendment of Section 49.

13. In Section 49 of principal Act, in sub-section (9), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

“(ba) If the society fails to circulate the minutes to the person invited for the meeting within 30 days from the conclusion of the meeting, the Registrar may, by an order, impose, on the responsible officer of the society, a penalty not exceeding fifty thousand rupees :

Provided that no order shall be made under this clause unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.”.

Amendment of Section 49-E.

14. In Section 49-E of the principal Act, in sub-section (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) Notwithstanding anything contained in this Act or rules or byelaws made thereunder, for every apex society where the State Government has contributed to its share capital or has given loans or financial assistance or has guaranteed the repayment of loans granted in any other form, there shall be a Managing Director, not below the rank of class I officer, who shall be appointed by the State Government.

Provided that in case of State Co-operative Bank, the Managing Director shall be appointed by the Board of Directors of the Bank as per the guidelines issued by the Registrar in accordance with the criteria stipulated by the Reserve Bank.”

15. In Section 53-B of the principal Act, in sub-section (2), for the words “three years”, the words “six years ” shall be substituted.

Amendment of Section 53-B.

16. In Section 55 of the principal Act, in sub-section (2), in the second proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

Amendment of Section 55.

“Provided also that the Registrar or the officer referred to above may admit dispute after the expiry of thirty days, if the applicant satisfy the Registrar or officer referred to above that he had sufficient cause for not referring the dispute within the stipulated time.”

17. In Section 56 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

Amendment of Section 56.

“(3) If any officer or the employee of the society, on whom specify responsibility has been fixed under sub-section (2), fails to maintain the records, registers, books of accounts and to furnish to the Registrar such information and such returns as may be required by the Registrar within the specified time, the Registrar may, by order, remove such officer and if the officer is an employee of the society, impose on him a penalty not exceeding fifty thousand rupees :

Provided that no order shall be made under this sub-section unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.”

18. In Section 58 of the principal Act, in sub-section (1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

Amendment of Section 58.

“Provided further that—

- (i) a Central Society or an Apex Society may get the accounts audited, by a Chartered Accountant approved by the Registrar; and
- (ii) an urban Co-operative Bank may get the accounts audited by a Chartered Accountant approved by the Reserve Bank.”

19. In Section 58-B of the principal Act,—

Amendment of Section 58-B,

- (i) sub-section (2) shall be omitted;
- (ii) in sub-section (3), the words, bracket and figure “or sub-section (2)” shall be omitted.

20. For Section 59 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 59.

“59. (1) The Registrar may, on his own motion or, on the application of —

Inquiry.

- (i) a society to which the society is affiliated; or
- (ii) a creditor to whom the society is indebted; or
- (iii) not less than one-half of the members of the committee; or

- (iv) not less than one-tenth of the total number of members of the society, hold an inquiry into the matters relating to the constitution, working and financial condition of the society or into the specific matters raised in the application or the Registrar shall cause an inquiry to be made into such case by the Collector or any officer sub-ordinate to the Collector or the officer of any other department or by a inquiry committee consisting of the officers.

(2) The Collector may on his own motion or on receipt of the application under sub-section (1) hold or cause to be held an inquiry by himself or by the officer sub-ordinate to him in respect of such society which is working in the jurisdiction of the District.

(3) The Registrar shall order an inquiry only after the receipt of a fee, as may be prescribed, from applicant or applicants specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) to meet the costs of the inquiry to be conducted.

(4) The Registrar, or the officer authorised by him under sub-section (1) and (2), shall, for the purposes of an inquiry under this section, have the following powers, namely :—

- (a) he shall at all times have free access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of, the society and may summon any person in possession or responsible for the custody of any such books, accounts, documents, securities, cash or other properties, to produce the same, if they relate to the head office of the society at any place at the headquarter thereof and if they relate to any branch of the society, at any place the town wherein such branch thereof is located;
- (b) he may summon any person who, he has reason to believe, has knowledge of any of the affairs of the society, to appear before him at any place at the head quarters of the society or any branch thereof and may examine such person on oath.

(5) The inquiry shall be completed and submitted to the Registrar within a period of four months from the date of ordering the inquiry.”.

Amendment of Section 59-A.

21. In Section 59-A of the principal Act, in sub-section (2), for the words “five thousand”, the words “fifty thousand” shall be substituted.

Amendment of Section 61.

22. In Section 61 of the principal Act,—

- (i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(2) The Registrar may make an order directing the society or its officers or the society to which it is affiliated to take such action as may, be specified in the order within sixty days to remedy the defects disclosed in the audit, inquiry or inspection.”;

- (ii) after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) If any officer or the employee of the society fails to comply the direction of the Registrar within sixty days, the Registrar may, by order, declare such officer to be disqualified for being a member of Board of Directors and if the officer is an employee of the society, impose on him a penalty not exceeding fifty thousand rupees :

Provided that no order shall be made under this sub-section unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.”.

23. In Section 66 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, figures and bracket "Section 64 or sub-section (2) of Section 55", the words, figures and bracket "Section 64 sub-section (2) of Section 55 or Section 84-A" shall be substituted. **Amendment of Section 66.**

24. Section 72 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so renumbered, the following new sub-section shall be added, namely :— **Amendment of Section 72.**

“(2) Where the liquidator submitted the final report to the Registrar after disposal of assets and liabilities, then the Registrar shall, after satisfaction on final report, cancel the registration of the society.”.

25. In Section 72-B of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 72-B.**

“(1) (a) Every member of housing society shall be entitled according to the priority list under clause (e) to a plot for housing including low density housing, dwelling house or a flat, as the case may be and in case dwelling house or flat have already been acquired, the common amenities and services including housing finance.

(b) The list of membership comprising his name, his father's and mother's name, his date of birth and permanent account number of Income Tax, if any, shall be maintained by the society and such list shall be prepared in accordance with his admission in the society.

(c) Where a society gets any land from Government or any other agency on concessional rate for the housing purpose, it shall be compulsory for the member thereof to submit an affidavit to the effect that there is no plot/flat/house in his name or in the name of his family member in that municipal area.

(d) Every housing society on the basis of the list prepared under clause (b) shall ask by a letter to each member of the list to deposit the development charges, construction charges and other expenses to be incurred for facilities, by a registered post within such period which shall not be less than two months as specified in the letter and the society shall also publish a press note for the above purpose in a newspaper having circulation in the jurisdiction of the society and the society shall keep record of the letters sent to the member concerned and the society shall ensure that the intimation for depositing the necessary amount has been received by the member.

(e) The society shall prepare a priority list for plot allotment every year on the basis of the required amount deposited by the member after receipt of the letter and if any change is effected in the list, the intimation thereof shall be sent to the member concerned by registered post and a copy of such changed list shall also be sent to the concerned Deputy Registrar / Assistant Registrar by 30th April every year and the plots shall be allotted to the members on the basis of final priority list and such list shall be made available by the society to general public on the website of the society and the website shall be updated every year.

(f) Along with the membership list and priority list of members prepared under clause (b) and clause (e), every housing society shall submit its yearly balance sheet and particulars of assets and liabilities to the Deputy Registrar / Assistant Registrar concerned of the District and this information shall also be made available to the general public on the website of the society.

(g) The land held by the society or any part thereof shall not be sold or leased out and no action for transferring of such land shall be taken without permission of the Registrar.

- (h) If a member fails to pay his share of legal expenses, maintenance and services, as the case may be, within the prescribed time, the society shall impose a surcharge at the rate of 20% for a period not exceeding three months and if default continues beyond three months, the services shall be discontinued forthwith :

Provided that such services shall not be discontinued unless the member concerned is given a reasonable opportunity of being heard by the committee in this behalf.”

Amendment of Section 72-D.

26. In Section 72-D of the principal Act,—

- (i) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—
“(ii) Tampering with the membership list.”;
- (ii) after clause (vii), the following clauses shall be added, namely :—
“(viii) Allotment of plots to members are not made according to the priority list of members.
(ix) Selling or leasing out the land held by society or transferred the land without permission of the Registrar.
(x) Not complying with the provisions of clause (f) of sub-section (1) of Section 72-B.”.

Amendment of Section 72-E.

27. In Section 72-E of the principal Act, for clauses (a) to (d), the following clauses shall be substituted, namely

- “(a) for an offence mentioned in clause (i) of Section 72-D, with a fine which may extend to five lac rupees or with imprisonment or a term which may extend to three years or with both;
- (b) for an offence mentioned in clause (ii) of Section 72-D with a fine which may extend to five lac rupees or with imprisonment for a term which may extend to three years or with both;
- (c) for an offence mentioned in clause (iii) of Section 72-D, with a fine which may extend to five lac rupees or with imprisonment for a term which may extend to three years or with both;
- (d) for an offence mentioned in clauses (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) and (x) of Section 72-D, with a fine which may extend to five lac rupees or with imprisonment for a term which may extend to three years or with both.”.

Amendment of Section 75.

28. In Section 75 of the principal Act,—

- (i) in clauses (a), (d), (e) and (h) for the figure “2000”, the figure “50,000” shall be substituted;
- (ii) in clauses (b), (c) and (j), for the figure “1000”, the figure “25,000” shall be substituted;
- (iii) in clause (i), for the figure “500”, the figure “25,000” shall be substituted;
- (iv) in clauses (f), (g) and (k), for the figure “250”, the figure “25,000” shall be substituted.”.

Amendment of Section 80-A.

29. In Section 80-A of the principal Act, the words “for which Government has contributed to its share capital or has given loans or financial assistance or has guaranteed the repayment of loans granted in any other form” shall be omitted.